न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/46/2023	2023/293	28.03.2023	28.03.2023

1. ओमी सिंह पुत्र श्री गोकुल सिंह, जाति राजपूत निवासी बास करनावत तहसील नारायणपुर, जिला अलवर राजस्थान।

—अपीलाण्ट

बनाम

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नाराणपुर, जिला अलवर, राजस्थान।

—रेस्पोडेन्ट

अपील धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 22.02.2023 तहसीलदार नारायणपुर प्रकरण संख्या 109/2023

उपस्थितः—

01. श्री श्योराम सिंह नरूका —वकील अपीलाण्ट
02. राजकीय अभिभाषक — रेस्पोडेन्ट

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार नारायणपुर के निर्णय दिनांक 22.02.2023 प्रकरण संख्या 109/2023 जिसके द्वारा संवत 2079 वाके ग्राम बास करनावत तहसील नारायणपुर की आराजी खसरा न0 188 रकबा 1.10 है0 किस्म गैरमुमकिन रास्ता में से अतिक्रमित रकवा 0.01 है0 में पक्का निर्माण कर अतिक्रमण करने पर बेदखली कार्यवाही से व्यथित होकर पेश की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर विद्वान वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी अपीलाण्ट वकील ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि पटवारी हल्का वासदयाल द्वारा दिनांक 01.02.23 को ग्राम बास करनावत के खसरा नं0 188 रकबा 1.10 है0 किस्म गै0 मु0 रास्ता में से 0.01 है0 पर अतिक्रमण की रिर्पोट अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नारायणपुर में प्रस्तुत की गयी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.02.2023 को अप्रार्थी अपीलाण्ट को नोटिस जारी कर आगामी तारीख पेशी दिनांक 22.03.2023 को अप्रार्थी को अनुपस्थित मानते हुए विना सुने व समुचित सुनवाई व साक्ष्य का मौका दिये निर्णय पारित किया गया है जो विधि विरूद्व तरीके से निर्णय पारित किया गया है। आराजी ख0नं0 188 रकवा 1.10 है0 जो रास्ते का नंबर है उसके तरफ दक्षिण को अपीलाण्ट की खातेदारी काश्तकारी की कृषि भूमि खसरा नंबर 187 रकबा 3.37 है0 व खसरा नंबर 186 रकबा 0.01 है0 कुआ है जो काफी वडा खेत है उसके साथ में रास्ते का नंबर मौके पर लगता हुआ है, मौके पर आज भी 30—35 फुट चौडा रास्ता है, जो सन् 2017 में नरेगा द्वारा ग्रेवल सडक वनाई हुई है। अपीलाण्ट द्वारा रास्ते की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है, अपीलाण्ट का मकान व मकान के आगे चबूतरा का निमार्ण अपीलाण्ट के खेत में आज से करीव 50 साल पूर्व अपीलाण्ट के पिता द्वारा बनाया गया है कोई नवीन निमार्ण नहीं किया गया है। खसरा नंबर 186 मे पुराना कुआ बना हुआ है जो 75 साल पुराना बना हुआ है,

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

इसको मुस्तकिल प्वांइट मानकर अपीलाण्ट की खातेदारी की भूमि व रास्ते की भूमि की पैमाइश कर दी जावे, और यदि अपीलाण्ट का अतिक्रमण पाया जाता है तो अपीलाण्ट अतिक्रमण छोडने को तैयार है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार नारायणपुर के निर्णय दिनॉक 22.02.2023 को निरस्त फरमाया जाकर भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के नोटिस से भारमुक्त फरमावे।

अपील के साथ संलग्न अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का बासदयाल द्वारा दिनॉक 01.02.2023 को अतिक्रमण रिपोर्ट आराजी खसरा न0 188 रकबा 1.10 गैर मुमकिन रास्ता में से 0.01 है0 पर ओमी सिंह पुत्र गोकुल सिंह जाति राजपूत निवासी बास करनावत तहसील नारायणपुर के द्वारा पक्का निर्माण की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.02.2023 के द्वारा अपीलान्ट अतिक्रमियों को नोटिस जारी किया गया जो अतिक्रमी को विधिवत तामील होकर संलग्न पत्रावली है। अपीलान्ट न्यायालय में नियत तारीख पेशी दिनॉक 22.02.2023 पर उपस्थित नहीं होने पर एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए निर्णय पारित किया गया। पटवारी हल्का रिर्पोट धारा 91 का नोटिस प्रति, और निर्णय 22.03.2023 की प्रति एवं बेदखली रिर्पोट पेश की गयी है।

न्यायालय द्वारा अपील व अपीलान्ट वकील की बहस एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन एवं चितंन मनन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलान्ट द्वारा प्रश्नगत विवादित आराजी पर कोई अतिक्रमण होना नहीं बताया गया बल्कि अपनी खातेदारी आराजी पर पक्का निर्माण करना बताया गया है आराजी ख0नं0 186 में पुराना कुआ बना हुआ है जो 75 साल से बना हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में वर्णित आराजी गै0 मु0 रास्ता की मौके पर पैमाइश नहीं की गई है, जिससे अतिक्रमण की स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण अपील अपीलाण्ट स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार नारायणपुर के निर्णय दिनॉक 22.02.2023 को निरस्त किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपील में वर्णित आराजी ख0 नं0 188 रकबा 1.10 मे से 0.01 है0 व अपीलाण्ट की खातेदारी की आराजी की पैमाइश की जाकर मौके पर अपीलाण्ट का अतिक्रमण पाया जाता है तो नियमुानसार साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही की जावे। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि० प्रशासन (द्वितीय) अलवर
राजस्थान
सरकार

(इन्द्रजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)